



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा  
(कुलसचिव कार्यालय)



क्रमांक: प.2/वमखुवि/स्था./19/3231

दिनांक 21.03.2020

कार्यालय-आदेश

श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस की सुरक्षागत जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय में दिनांक 31.03.2020 तक आंशिक शट डाउन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.2/वमखुवि/स्था./19/3228 दिनांक 20.03.2020 की निरन्तरता में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कार्यालयों एवं समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर दिनांक 31.03.2020 तक आगन्तुकों पर रोक रहेगी।
2. इस अवधि में बिना अति आवश्यक कारणों के अन्य बैठकें स्थगित रहेंगी।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

(एस.डी. मीना)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त इकाई अध्यक्ष/प्रभारी, वमखुवि, कोटा।
2. निदेशक क्षेत्र. वमखुवि कोटा/जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
3. नियंत्रक वित्त, वमखुवि, कोटा।
4. सचिव, माननीय कुलपति महोदय, वमखुवि, कोटा।
5. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, वमखुवि, कोटा।
6. सहायक अभियंता, सम्पदा प्रकोष्ठ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय के सुरक्षा में जुड़े सुरक्षा कर्मियों के मध्य प्रसारित करावें।
7. प्रभारी, वेबसाइट, ई.एम.पी.सी. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. चाण्डक)  
उप कुलसचिव (स्थापना)